# बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, पटना
## (बिस्कोमान)
## आदेश

कार्यालय आदेश ज्ञापांक–स्था॰/171/बी/89 दिनांक 16.04.2013 द्वारा श्री ललित शरण सिंह, सहायक भंडार प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी अधिप्राप्ति केन्द्र, सुलतानगंज को कतिपय कारणों से निलंबित कर इनका मुख्यालय स्थापना शाखा, बिस्कोमान, पटना में किया गया तथा कार्यालय आदेश ज्ञापांक स्था॰/171/एम/1512 दिनांक 19.06.2013 द्वारा श्री सिंह को बिहार सेवा संहिता के नियम 74(2) के तहत निहित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा अनिवार्य सेवा निवृति दी गई। अवैध एवं मनमाने ढ़ंग से अनिवार्य सेवा निवृति देने की कार्रवाई के विरूद्ध कार्मिकों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन/हड़ताल (दिनांक 03.07.2013 से 23.07.2013 तक) को समाप्त कराने के लिए हुई वार्त्ता में प्रबंधन (माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कार्मिकवार मामले में गुण–दोष के आधार पर न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा। दिनांक 16.08.2013 को सम्पन्न निदेशक पर्षद की बैठक प्रस्ताव संख्या अन्यान्य–V में भी यथाशीघ्र निर्णय लेने हेतु माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया गया है। तद्नुसार श्री ललित शरण सिंह को दी गई निलंबन एवं अनिवार्य सेवा निवृति के मामलें पर विचार किया गया, स्थिति निम्नवत हैः–

(क) बिहार सेवा संहिता के नियम–74 (क) में प्रावधान है कि ''राज्य सरकार किसी सरकारी सेवक को जिसने अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख से कर्त्तव्य के 21 वर्ष और कुल सेवा के 25 वर्ष पूरे किये हों सेवा–निवृति करा सकती है, यदि वह समझे कि उसकी कार्य–क्षमता या आचार ऐसा नहीं है, जिससे उसे सेवा में बनाये रखना न्याय हो। जहॉ किसी सरकारी सेवक से इस प्रकार सेवा निवृति की अपेक्षा की जाए वहॉ किसी विशेष क्षतिपूर्त्ति के लिए कोई दावा स्वीकार न किया जाएगा।

74 (ख)(i) पूर्ववर्त्ती उप–नियम में किसी बात के होते हुए भी कोई सरकारी सेवक सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी को कम–से–कम तीन माह पहले लिखित सूचना देकर उस तिथि को जिस दिन उसकी अवधि सेवा तीस वर्ष पूरी हो जाए अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले अथवा उसके बाद किसी भी तिथि को जो सूचना में निर्दिष्ट की गई हो सेवा निवृति हो सकता है। ''परन्तु कोई निलंबित सरकारी सेवक राज्य सरकार के विशिष्ट अनुमोदन के पश्चात ही सेवा–निवृति हो सकता है अथवा नहीं।

(ख) बिस्कोमान की उप विधि की धारा–42(2) में प्रावधान है कि "The Managing Director shall be responsible for the general administration of the union subject to the general order and special directions of the Board of Directors and working committee."

(ग) (i) बिस्कोमान की उप विधि की क्लाउज 43(8) में प्रबंध निदेशक के अधिकारों का वर्णन है, जिसमें कहा गया है किः– "To appoint, suspend punish or dismiss any salaried staff of the union and to prescribe and assign

आवश्यक है। अतः निदेशक मंडल के दिनांक 16.08.2013 के बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में श्री ललित शरण सिंह अनिवार्य सेवा–निवृत सहायक भंडार प्रबंधक के संबंध में निर्गत अनिवार्य सेवा–निवृति आदेश ज्ञापांक स्था॰/171/एम/1512 दिनांक 19.06.2013 को निम्न शर्त्तों के साथ निरस्त किया जाता है:–

1. "No Work No Pay" के सिद्धान्ततः श्री सिंह से सहमति प्राप्त कर लिया जाए कि बिस्कोमान की सेवा में नहीं रहने की अवधि हेतु किसी प्रकार का वेतन भुगतान उन्हें मान्य नहीं होगा। परन्तु यह अवधि उनके सेवा में टूट न होकर असाधारण अवकाश की श्रेणी में आयेगी।
2. निलंबन आदेश ज्ञापांक– स्था॰/171/बी/89 दिनांक 16.04.2013 के आलोक में श्री सिंह निलंबित रहेंगे तथा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नियमानुसार संचालित कर निर्णय लिया जाएगा।
3. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय सी॰सी॰ए॰डिपो, बिस्कोमान, सुलतानगंज (भागलपुर) होगा। नियमानुसार इन्हें निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक:– स्था॰ स॰ अ॰ प्र॰-171-बी-958 दिनांक:– 22-10-2013

प्रतिलिपि:–

1. श्री ललित शरण सिंह, सहायक भंडार प्रबंधक (नि॰), ग्राम–राजपुर, पो॰–हेठुआ राजपुर, जिला– बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय क्षेत्रीय पदाधिकारी/वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
4. सभी पदाधिकारी मुख्यालय, पटना, को सूचनार्थ।
5. मुख्य लेखा/लेखा पदाधिकारी (स्थापना लेखा), बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
6. माननीय अध्यक्ष, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।

22/10/13

सचिव